

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.2(4)न्याय/2019

जयपुर दिनांक 31.10.2022

::अधिसूचना::

इस विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.2(4)न्याय/2019 दिनांक 21.01.2020 एवं प.1(3)न्याय/2010 दिनांक 05.06.2020 की निरन्तरता में द बेनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपोजिट स्कीम एक्ट, 2019 की धारा 8 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श उपरान्त उक्त अधिनियम के अधीन प्रकरणों के विचारण हेतु राजस्थान राज्य के जिला न्यायाक्षेत्र मुख्यालय पर स्थापित समस्त अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश के न्यायालयों को उक्त अधिनियम के तहत प्रकरणों की सुनवाई हेतु अधिकारिता वाला न्यायालय एतद्द्वारा तुरन्त प्रभाव से विनिर्दिष्ट करती है, जिन्हें केवल उन्हीं प्रकरणों की सुनवाई का अधिकार होगा, जिन्हें संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अन्तरित किये जायेंगे।

राज्यपाल के आदेश से.


(प्रकाश भट्टनागर)
प्रमुख शासन सचिव

RAJASTHAN HIGH COURT, Jodhpur

Gen./II/22/2019/1716

Date: 4-11-2022

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. All Registrars, Rajasthan High Court, Jodhpur/ Jaipur Bench.
2. All The District & Sessions Judges with a direction to circulate the same amongst all the concerned ADJ Courts of their Judgeship.
3. All The Chief Judicial/ Metropolitan Magistrates.
4. A.O.J. Conf./ RJS Estt./ SC Estt/ Statistics/ Budget/ Building/ and A.O.J. Computer Cell (for uploading the same on high court website) Rajasthan High Court, Jodhpur.


4.11.2022
REGISTRAR (RULES)